

2019/000 16

निर्दिष्ट दि 4.12.19

समानस्थान परतकार

महापत्र

आयाल मुरतीव 512 (राजस्व) लूनकरनसर, जिला बीकानेर

सरकार स्टेट वनाम श्री काश्र कौडोकालू वां युक्त 612

किरम मुकदमा - आर. सी. ए. 1954 की धारा 27

11.12.19

एल. आर. एक्ट 1956 की धारा 91

मुकदमा नम्बर

वर्ष

02/2019

फसल

खरीफ

आदेश दिनांक

कार्यवाही विवरण

आदेश की जालीम

23/9/19

पटवारी हल्का

मनोहरिया

की रिपोर्ट पर पत्रावली मुरतीव की गई। मुताबिक रिपोर्ट अप्रार्थी ने

ग्राम/चक वेरन के

खसरा नं./मुन.मै 459/241 की 35.41 बा.1

में गवार त मोह काश्त कर

कुल तादादी 3.79 हे० बीघा

राजकीय भूमि पर सम्वत 2076 में

नाजायज कब्जा कर काश्त कर ली। अप्रार्थी को धारा 27/91 के तहत नोटिस

जारी किया जावे एवं भू-अमिलेख निरीक्षक को फसल-कुर्क कर हेतु लिखा

जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक 4/10/2019 को पेश हो।

24/9/19

बनानी पेश हुई! खसरा नं. 459/241

अप्रार्थी आ. आ. 4529 का निर्वचन हुए.

हेतु लिखा जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक 4/10/2019 को पेश हो।

चरमि के
500 00
142 45
50

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व), लूणकरनसर

निर्णय

मिसल न. :- 02/2019

दिनांक 04-12-19

पत्रावली पेश हुई संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मनो डेविया ने रिपोर्ट (पी - 14) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि फसल खरीफ सम्वत् 2076 में गैर सायल

साकिन कादर खाँ पुत्र श्री कादर खाँ जाति कुतलमान
ने ग्राम कैडरन के ख.न. 459/214
रकबा 3.79 में नाजायज काश्त कर अतिक्रमण किया है। सम्बन्धित अप्रार्थी को

राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस प्रकरण दर्ज कर जारी किया गया जो कि बाद तामील शामिल मिसल किया गया। संबंधित गैर सायल उपस्थित। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि संतोषजनक नहीं होने के कारण से सम्बन्धित

गैर सायल कादर खाँ पुत्र श्री कादर खाँ जाति कुतलमान
साकिन कैडरन को ग्राम कैडरन के ख.न. 459/214
रकबा 3.79 में अतिचार करने पर राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है, तथा भू. राजस्व दर 2.00 का 50 गुणा रुपये 190.00 शास्ति से दण्डित किया जाता है तथा मौके से बेदखली व कृकशुदा फसल को नीलाम करने के आदेश दिए जाते हैं।

फसल नीलामी व बेदखली बाबत संबंधित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा तावान वसूली बाबत पटवारी हल्का को तथा मांग कायमी बाबत टी.आर.ए शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.12.19 को खुली अदालत में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफतर दाखिल होवें तथा रजिस्टर नम्बर से कम हो।

3
तहसीलदार (राजस्व)
लूणकरनसर

